

2018/00293

महोदय जी

निवेदन है कि ग्राम नई अरवड़ की जमाबंदी संवत् २०१२-१३ के खाता संख्या ५ में प्रार्थी का नाम / की जाति उगमा दर्ज है | जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम / की जाति उगमाराम दर्ज है | अतः उक्त खाते में प्रार्थी का नाम / की जाति उगमा के बजाय उगमाराम दर्ज किया जाना उचित होगा |

*(Handwritten signature)*

राजस्व लोक अदालत अभियान  
"न्याय आपके द्वार-2018"

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

योगेश कुमार जाखड़  
पटवारी  
पटवार नण्डल अरवड़  
तह. फुलिया कला (भीलवाड़ा)

रिपोर्ट पटवारी जींच २०१२ संशोधन स्वीकार योग्य है

तहसीलदार फुलिया कला (भील

प्र.सं. ३०१/१३

राजस्व लोक अदालत अभियान  
"न्याय आपके द्वार-2018"

केस - अरवड़ दिनांक - २०/०६/१८

आदेश

हस्त रिपोर्ट तहसीलदार फुलिया कला के ग्राम नई अरवड़ की जमाबंदी संवत् २०१२-१३ में खाता सं. ५ में दर्ज उगमा की बजाय उगमाराम के रूप में जोड़े का आदेश दिया जाता है।

पटवारी तहसीलदार फुलिया कला को भेजा जावे।



उपखण्ड अधिकारी  
फुलिया कला (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी

फुलिया कला